



मामा और भांजे ने मिलकर की थी दीपक की हत्या

- थाना पनकी पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर हत्याकांड से उठाया पर्दा
- अवैध संबंधों और ब्लैकमेल करने के चक्कर में हुई थी हत्या
- हत्यारोपी बोले समझाने के बाद भी नहीं मान रहा था दीपक
- समाज में बदनामी की धमकी देकर दीपक रोज मांगता था पैसे
- हत्याकांड में शामिल महिला समेत तीन अभियुक्त गिरफ्तार
- घटना छिपाने पर चार लोगों पर भी दर्ज हुआ मुकदमा

कानपुर। बीते शनिवार 14.01.2023 को दीपक उर्फ पप्पू पुत्र स्व० रामा सिंह नि० 140 ई०डब्लू०एस० भाग 01 , गंगागंज थाना पनकी कानपुर नगर के हत्याकांड से कमिश्नर कानपुर नगर की पनकी थाना पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर ही पर्दा उठा दिया है। पुलिस ने महिला समेत तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अब तक की हुई जांच में अभियुक्तों ने अवैध संबंधों के चक्कर में दीपक की हत्या करने की बात कबूल की है। दोनों हत्यारोपी रिश्ते में मामा और भांजे हैं। पुलिस पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्यवाही कर रही है।

घटना के संबंध में थाना पनकी में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या करने के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 15/2023 धारा 302/120बी भादवि थाना पनकी कमिश्नर कानपुर नगर पर पंजीकृत हुआ था। मुकदमा की जांच में सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरे व अवलोकन सीडीआर तथा अन्य तकनीकी मदद लेकर पनकी पुलिस ने सप्ताह भर के अंदर घटना का अनावरण किया है।

मुकदमा की जांच में प्रकाश में आये अभि०गण 1. पंकज उर्फ गोलू पुत्र स्व० बबलू नि० पनकी कला थाना पनकी जनपद कानपुर नगर उम्र 25 वर्ष जो चटाई व पायेदान बेचता है 2. बदन सिंह पुत्र चन्द्रिका नि० सचेण्डी जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 30 वर्ष प्लास्टिक की दुकान है 3. बिट्टी उर्फ आशा पत्नी स्व० बबलू नि० पनकी कला थाना पनकी जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पंकज और बदन सिंह रिश्ते में मामा भांजे हैं।

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि पंकज उर्फ गोलू की मां बिट्टी उर्फ आशा का मृतक पप्पू से प्रेम सम्बन्ध था। इस कारण अभि० पंकज उर्फ गोलू की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही थी तथा दीपक उन लोगों से पैसे की माँग करता था। अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 01.01.2023 को भी मृतक दीपक उर्फ पप्पू शराब पीकर पंकज उर्फ गोलू के घर पर चढ़ आया था, तथा गाली गलौज व उपद्रव किया था। पप्पू आये दिन शराब पीकर पंकज उर्फ गोलू के घर पर रात-विरात पहुँचकर गाली-गलौज करता था।

घटना वाले दिन दिनांक 13.01.2023 को भी मृतक का फोन अभियुक्त की मां के पास समय करीब 08.00 बजे शाम को आया था जो नशे में गाली गलौज करते हुये रूपये की मांग कर रहा था इसी बात से नाराज होकर अभियुक्तगण ने साजिश रचकर सुनियोजित तरीके से हत्याकांड को अंजाम दे डाला।

पुलिस से घटना छिपाने पर मुकदमा इस हत्याकांड के संबंध में थाना पनकी पर एक अन्य मुकदमा अन्तर्गत धारा 202 भादवि बनाम अभियुक्त गण 1. शशांक सक्सेना पुत्र स्व0 बागीश चन्द्र सक्सेना निवासी 48 ई डब्लू एस भाग 1 गंगागंज पनकी कानपुर नगर उम्र 30 वर्ष, 2. जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र श्री करन सिंह निवासी 120 ई डब्लू एस भाग 1 गंगागंज पनकी कानपुर नगर उम्र 26 वर्ष, 3. देवेन्द्र उर्फ जैकी पुत्र करन सिंह निवासी 120 ई डब्लू एस भाग 1 गंगागंज पनकी कानपुर नगर उम्र 28 वर्ष, 4. सतेन्द्र सिंह पुत्र करन सिंह नि0- 120 ई डब्लू एस भाग 1 गंगागंज पनकी कानपुर नगर उम्र 21 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त चारों व्यक्तियों द्वारा घटना की जानकारी होने पर भी घटना के सम्बन्ध में पुलिस अथवा मृतक के परिजनों को सूचित नहीं किया गया था। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर भी घटना के बारे में अवगत नहीं कराया गया। उपरोक्त अभि0गण के विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों की पहचान

1. पंकज उर्फ गोलू पुत्र स्व0 बबलू नि0 पनकी कला थाना पनकी जनपद कानपुर नगर उम्र 25 वर्ष।
2. बदन सिंह पुत्र चन्द्रिका नि0 सचेण्डी जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 30 वर्ष।
3. बिट्टी उर्फ आशा पत्नी स्व0 बबलू नि0 पनकी कला थाना पनकी जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 45 वर्ष

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 366/2018 धारा 20,8 एन0डी0पी0सी0 एक्ट भादवि थाना पनकी जनपद कानपुर नगर बनाम बदन सिंह।
2. मु0अ0सं0 379/2017 धारा 354 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना महाराजपुर जनपद कानपुर नगर बनाम पंकज उर्फ गोलू।
3. मु0अ0सं0 15/2023 धारा 302/120बी भादवि थाना पनकी, कमिश्नरेट कानपुर नगर बनाम पंकज उर्फ गोलू आदि

बरामदगी- एक हीरो स्पेण्डर आई0 स्मार्ट मोटर साइकिल नं0 यू0पी0 78 EM 2065, वाहन स्वामी रमेश नि0 219 एफ ब्लॉक पनकी।

2. एक अदद सफेद गमछा

गिरफ्तार करने वाली टीम प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह, उ0नि0 मनोज कुमार दीक्षित, उ0नि0 अमित मलिक, उ0नि0 दीपक कुमार, हे0का0 मनोज कुमार, हे0का0 विष्णु पाल सिंह, का0 अनार सिंह, का0 कुलदीप सिंह, का0 नयन सिंह, का0 विजय सिंह, का0 अनिल कुमार, का0 चालक विनय कुमार, म0का0 रेनू प्रजापति, सर्विलांश टीम उ0नि0 शिव प्रताप सिंह प्रभारी मय स्वाट टीम शामिल रहे।

घटना का खुलासा करने वाली टीम को श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय ने **50 हजार इनाम** के रूप में देने की घोषणा की है।